संचिका संख्या– 14 आपदा 01/2024 1481(वि०)

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

(पशुपालन)

प्रेषक,

डॉ0 एन0 विजयालक्ष्मी, भा0प्र0से0,

सरकार के अपर मुख्य सचिव,

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।

सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–09/04/2025

विषयः– **संभावित बाढ़–2025 के पूर्व, बाढ़ के समय एवं बाढ़ोपरांत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु राहत कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यकारी आदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रत्येक वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य के कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। इसके पूर्व की तैयारी तथा कार्रवाई के संबंध में पूर्व से स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जानमाल की क्षति एवं फसल नष्ट होने के साथ–साथ अनाज एवं भूसा/पुआल के नष्ट होने, पशुओं के बाढ़ में बह जाने, पशुओं को विभिन्न रोगों से ग्रसित होने तथा उनके उत्पादन क्षमता में ह्रास होने की संभावना बनी रहती है। उक्त स्थिति में जान–माल की क्षति के न्यूनीकरण हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है।

संभावित बाढ़ – विगत वर्षो की भांति वर्ष 2025 के संभावित बाढ़ को देखते हुए सरकार पशुधन सहाय्य कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए दृढ़संकल्प है। जिला स्तर पर यह कार्य जिलाधिकारी के नियंत्रण में किया जाना है, जिसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की भी अहम भूमिका होती है। अतः संभावित बाढ़–2025 के पूर्व की स्थितियों, बाढ़ के समय की परिस्थितियों तथा बाढ़ के उपरांत संभावित परेशानियों को देखते हुए तैयारी की जानी अपेक्षित है। इस कार्यकारी आदेश की कंडिकाओ में निहित अनुदेशों का अनुपालन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि बाढ़ के समय तो पशु प्रभावित होते ही है, बाढ़ के बाद भी उनके संक्रमित होने अथवा रोगग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है।

1. **बाढ़ पूर्व की तैयारी** :– राज्य के 29 जिलें बाढ़ प्रवण है जिनमें 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिला की श्रेणी में आते है। कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होते रहते है जो बाढ़ प्रवण जिला के रूप में चिन्हित नहीं है। इन जिलों में बाढ़ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा एवं सोन नदी के जलस्तर का बढ़ जाना है। अतएव बाढ़ प्रवण जिले के साथ–साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ पूर्व

की जाने वाली तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को ससमय राहत पहुँचायी जा सके एवं क्षति को कम किया जा सके। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि इन जिलों में बाढ़ तथा उससे होने वाली परेशानियों का सामना सुव्यवस्थित ढ़ंग से हो। आवश्यक है कि बाढ़ के दौरान, बाढ़ के समय तथा बाढोपरांत संभावनाओं को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप निम्नलिखित तैयारी पूर्व में ही कर ली जाय :–

(i) बाढ़ सहाय्य केन्द्रों की स्थापनाः–पूर्व वर्षो के अनुभव के आधार पर जल प्लवन संभावित क्षेत्रों में गाँव के ऊँचे स्थलों का चयन कर लिया जाय जहाँ पशुओं को बाढ़ के समय रखा जा सके तथा सहाय्य केन्द्र भी खोला जा सके। स्थल चयन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि बाढ़ के समय चयनित केन्द्रों पर दवा, चारा तथा अन्य सामानों की आपूर्त्ति आसानी से की जा सके। चयनित सहाय्य केन्द्रों की सूची का अनुमोदन संबंधित जिलाधिकारी से कराने के पश्चात सूची पशुपालन निदेशालय को अविलंब उपलब्ध करा दिया जाय।

चयनित पशु आश्रय केन्द्रों के निकट पशु चिकित्सा शिविर, पशु दवा, टीकौषधियों, एंटीसेप्टिक, फेनाइल आदि सामग्रियों की आवश्यक मात्रा का आकलन तथा उनकी उपलब्धता पूर्व से ही सुनिश्चित कर लें ताकि अल्पावधि में ही इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके।

यदि चयनित केन्द्रों की तुलना में उपलब्ध कर्मियों की संख्या कम हो तो इसकी सूचना पशुपालन निदेशालय को समय पूर्व ही दें ताकि निदेशालय स्तर से गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। निदेशालय स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के अन्दर प्रभावित स्थल पर योगदान कर लेगें।

(ii) चारा–दाना की व्यवस्था :–बाढ़ सहाय्य कार्य के लिए पशु चारा–दाना की व्यवस्था तथा उनका भण्डारण एक बड़ी समस्या है। पूर्व वर्ष के अनुभव यह बताते है कि बाढ़ के दौरान शीघ्र चारा उपलब्ध करा पाना व्यवहारिक नही हो पाता है। यह तय है कि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं चारा की समुचित मात्रा उपलब्ध रहती है। इसलिए चारा–दाना की आवश्यक मात्रा की गणना, उनके उपलब्धता के स्त्रोत तथा उनके अनुमानित लागत मूल्य का आकलन पूर्व में ही कर लेना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर कठिनाईयाँ न हो। प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर चारा–दाना की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही कर लेना सुनिश्चित किया जाय। जिला प्रशासन के सहयोग से बाढ़ के पूर्व निविदा के माध्यम से सुखा चारा एवं दाना आदि के दर एवं आपूर्त्तिकर्त्ता का निर्धारण सुनिश्चित कर लिया जाय।

(iii) पशु दवा/टीकौषधियों की व्यवस्था :–पशुधन किसानों के लिए महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। बाढ़ के समय ये पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते है। इसलिए बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ोपरान्त संभावित पशु रोगों का आकलन पूर्व से ही कर ली जाय तथा इसके अनुसार पशु दवा, टीकौषधियों, एंटीसेप्टिक, कृमिनाशक दवाएँ आदि की आवश्यक मात्रा का आकलन पूर्व से ही कर लें। साथ ही चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त

राशि के आधार पर आवश्यक पशु दवा का क्रय जिलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

2. बाढ़ के दौरान की तैयारी :– बाढ़ के समय तथा बाढ़ोपरांत संभावनाओं को दृष्टि पथ में रखते हुए निम्नलिखित तैयारी पूर्व में ही कर ली जायः–

(i) चिकित्सा कार्य :–बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल–जमाव तथा प्रदूषित पेय जल के सेवन से पशुओं के बीमार होने की संभावना बनी रहती है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आवंटन के आधार पर आवश्यक दवा के क्रय से संबंधित अनुदेश पूर्व की कंडिका में दिए जा चुके है। बाढ़ के पूर्व तथा बाढ़ के समय प्रयोग होने वाले कृमिनाशक दवाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बाढ़ के दिनों के लिए उपचारात्मक औषधियों की विशेष आवश्यकता हो सकती है। आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सालयों एवं पशु राहत शिविरों में पशु दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(ii) पर्यवेक्षण तथा प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण :–जिला पशुपालन पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में चल रहे क्रियाकलापों का नियमित रूप से तथा निर्धारित कार्यक्रम के तहत निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य करते रहेंगे। इन कार्यो के अनुश्रवण की जबावदेही क्षेत्रीय निदेशकों में निहित रहेगी।

बाढ़ के समय चलाये जा रहे कार्यो का दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रखण्ड स्तर से जिला पशुपालन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर जिलाधिकारी तथा क्षेत्रीय निदेशकों को समर्पित करेंगे। उसकी एक प्रति पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में कार्यरत नियंत्रण कक्ष को भी दिया जाय।

पहला प्रतिवेदन, बाढ़ आने या 01.06.2025 (जो पहले हो), से प्रारंभ हो जाना चाहिए।

(iii) नियंत्रण कक्ष की स्थापनाः– राज्य स्तर पर बाढ़ सहाय्य कार्यो के सम्पादन के निमित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। जिसके प्रभारी के रूप में निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के द्वारा इस संस्थान के किसी वरीय पदाधिकारी को नामित किया जाएगा। निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना की अनुपस्थिति में कार्यरत वरीयतम पदाधिकारी उनके दायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेवार एवं जबावदेह होगें। यह नियंत्रण कक्ष बाढ़ आने या 01.06.2025 (जो पहले हो) से कार्य करने लगेगा। विषम परिस्थिति में नियंत्रण कक्ष पालीवार पद्धति पर 24X7 कार्य करेगा। डॉ० अनिल कुमार पाण्डेय, चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना, आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी एवं इनके अनुपस्थिति में डॉ0 शैलेश कुमार, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (प्रतिनियुक्त आपदा कोषांग), नोडल पदाधिकारी के रूप में पशुपालन निदेशालय की ओर से कार्य करेगें।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष का यह दायित्व होगा कि वे लगातार क्षेत्र एवं उच्चधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें। साथ ही क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर निदेशालय को अवगत करायेंगे एवं आकस्मिक सूचना

से अपर मुख्य सचिव/ निदेशक, पशुपालन/ नोडल पदाधिकारी को सूचित करते हुए विभागीय निर्णयों संबंधितों को अवगत करायेंगे।

(iv) सहाय्य कार्यो का सूत्रण :—बाढ़ सहाय्य कार्यों का प्रबोधन एवं सूत्रण हेतु निदेशक, पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, पटना द्वारा प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए दो—दो पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेगें जो जिला में सम्पादित सारे कार्यों का प्रबोधन करेगें तथा परिस्थितियों से नियंत्रण कक्ष/पशुपालन निदेशालय को अवगत करायेगें।

3. **बाढ़ के बाद की तैयारी** :—जल प्लावन वाले क्षेत्रों से पानी के निस्सरण के साथ पशुओं में बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है। अतः बाढ़ के उपरांत भी सतत सक्रिय रहने की आवश्यकता है इसके लिए आवश्यक है कि :—

i) बीमारियों के लिए उपचारात्मक व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाय तथा बीमारी फैलने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाय। साफ—सफाई की बातों पर पशुपालकों को ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाय।

ii) क्षतिग्रस्त पशुशालाओं/मृत पशुओं की सूची जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बनाई जाय तथा संकलित प्रतिवदेन से समय—समय पर जिला प्रशासन एवं पशुपालन निदेशालय को अवगत कराया जाय।

iii) बीमार ग्रस्त पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय।

iv) अल्पावधि में तैयार होने वाले चारा फसल की खेती के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय।

<u>अन्यान्य</u>

i) बाढ़ के संभावित कुप्रभाव तथा आकस्मिक स्थिति से निपटने के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग से निर्गत निर्देशों तथा अनुदेशों से सभी पदाधिकारियों/ कर्मियों/ पशुपालकों/ आमजनों को समय—समय पर अवगत कराया जाय।

ii) बाढ़ सहाय्य कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी बिना किसी अपरिहार्य कारण तथा जिला प्रशासन/विभागीय उच्च पदाधिकारियों से पूर्वानुमति के बिना अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोडेगें।

iii) बाढ़ के समय जिलाधिकारियों को यह शक्ति प्रदत्त है कि जिला में पदस्थापित पशुपालन विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी की सेवा अपने अधीन लेकर राहत कार्य में लगा सकते है।

iv) प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जान—बूझकर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाना बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम—2004 की धारा—13 तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा प्रबंधन अधिनियम—2005 की धारा—5 के तहत दण्डनीय है।

विश्वासभाजन

9.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2024 ..1481..(नि०) पटना–15, दिनांक –..09.../...04.../2025

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी (आपदा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशालय में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.4.25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।